अनुदान संख्या 29 – वित्तीय सेवाएं विभाग
GRANT No. 29 - DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	1474,97,00		12180,57,00	10289,16,24	-1891,40,76
पूरक	Supplementary	10705,60,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1888,46,14
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	27600,05,00		48600,07,00	38650,00,00	-9950,07,00
पूरक	Supplementary	21000,02,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					9950,06,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹189140.76) सितंबर, 2020 तथा फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1070560.00 लाख के पूरक अनुदानों का 18 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹189140.76 lakhs) constituted 18 percent of the supplementary grants of ₹1070560.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and 16 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	6999.00	5704.25	5662.74	-41.51
पु.	R.	-1294.75			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	15089.00	14240.10	14029.81	-210.29
पु.	R.	-848.90			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	60411.00	47083.00	47082.00	-1.00
पु.	R.	-13328.00			
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	3.00			
पू.	S.	135697.00	86500.00	86500.00	..
पु.	R.	-49200.00			
मुख्य शीर्ष "3465" सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाएं	Major Head "3465" General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	61501.00			
पू.	S.	934863.00	872692.61	872692.61	..
पु.	R.	-123671.39			

1. ₹3392.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹2889.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹3392.00 lakhs remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹2889.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2070" – "निदेशन और प्रशासन – पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(A) Major Head "2070" - "Direction and Administration - Grants in aid to Pension Fund

(पीएफआरडीए)" – ₹889.00 लाख। पीएफआरडीए द्वारा अपने आंतरिक स्रोतों के उपयोग के लिए सहायता अनुदान जारी करने की आवश्यकता न होने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2235" – "अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम – अन्य बीमा स्कीमें – प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के प्रचार/जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वित्तपोषण सहायता" – ₹1000.00 लाख – कार्यान्वयन एजेंसियों से दावे प्राप्त न होने के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष "3465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाएं – सामान्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता – माइक्रो यूनिटस डेवलमेंट एंड रिफाईनेंस एजेंसी (मुद्रा) लिमिटेड को वित्तीय सहायता" – ₹1000.00 लाख – पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाये अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(का) मुख्य शीर्ष "2885" – "औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं – औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को सहायता" –

(क) "विशिष्ट परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों का मोचन" – ₹1.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹12497.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹12498.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹3498.00 लाख की सीमा तक – आईडीबीआई बैंक लि./एसएएसएफ द्वारा कम दावे प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) "भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए गए शिशु ऋण की तुरंत अदायगी पर 2 प्रतिशत ब्याज परिदान (बसवेंशन) के लिए सहायिकी" – शून्य मूल प्रावधान को ₹123200.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹45700.00 लाख की सीमा तक

Regulatory & Development Authority (PFRDA)" - ₹889.00 lakhs - due to non-release of grants-in-aid owing to use of its own internal resources by PFRDA.

(B) Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Other Insurance Schemes - Funding support for publicity/awareness building for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)" - ₹1000.00 lakhs - due to non-receipt of claims from the implementing agency.

(C) Major Head "3465" - "General Financial Institutions - Assistance to General Financial Institutions - Financial Support to Micro Units Development and Refinance Agency (MUDRA) Limited" - ₹1000.00 lakhs - due to availability of unspent balances of previous year.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2885" - "Industrial Financial Institutions - Assistance to Industrial Finance Institutions" -

(a) "Redemption of Securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)" - the original provision of ₹1.00 lakh was augmented to ₹12498.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹12497.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹3498.00 lakhs - due to receipt of less claims by IDBI bank Ltd./SASF.

(b) "Subsidy to Small Industries Development Bank of India (SIDBI) on Interest Subvention of 2% on Prompt repayment of Shishu Loans extended under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)" - funds of ₹123200.00 lakhs were provided by

कार्यान्वयन एजेंसियों के व्यय दावे प्राप्त, होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाएं – सामान्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता" –

(क) "राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी कंपनी (एनसीजीटीसी) को सहायता" – ₹60001.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹400000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹460001.00 किया गया जो, तथापि, ₹50001.00 लाख की सीमा तक निधियां जारी किए जाने के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) "लोन मोरेटोरियम के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सहायता स्कीम" – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹534863.00 लाख की राशि प्रदान की गई, तथापि, ₹72170.39 लाख की सीमा तक कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात भारतीय स्टेट बैंक से कम दावे प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिलवालय – वित्तीय सेवाएं विभाग" के अंतर्गत – ₹1336.26 लाख की बचत (₹6999.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, विज्ञापन एवं प्रचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और वीडियों कान्फ्रेसिंग सिस्टम की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2235" – "अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम – सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अंतर्गत पेंशन" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

obtaining supplementary grant which, however, remained unutilized to the extent of ₹45700.00 lakhs - due to receipt of less claims from the implementing agency.

(B) Major Head "3465" - "General Financial Institutions - Assistance to General Financial Institutions" -

(a) "Assistance to National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC)" - the original provision of ₹60001.00 lakhs was augmented to ₹460001.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹400000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹50001.00 lakhs - due to non-convening of meeting of Expenditure Finance Committee.

(b) "Compounded Interest Support Scheme for Loan Moratorium" - Funds of ₹534863.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilized to the extent of ₹72170.39 lakhs - due to receipt of less claims from the implementing agency viz. State Bank of India.

(III) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Financial Services" - saving of ₹1336.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6999.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, freezing of dearness allowance, requirement of less funds towards advertisement & publicity and non-procurement of video conferencing system owing to COVID-19 pandemic.

(IV) Under Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Pensions under Social Security Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "भारतीय जीवन बीमा निगम को वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु भुगतान" – ₹9728.00 लाख की बचत (₹29510.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens" - saving of ₹ 9728.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29510.00 lakhs); and

(खा) "अटल पेंशन योजना (एपीवाई)" – ₹2600.00 लाख की बचत (₹29900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Atal Pension Yojna (APY)" - saving of ₹2600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29900.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन एजेंसी से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims from the implementing agency.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹437.77 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 31 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of ₹437.77 lakhs occurred constituting 31 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में कुल बचतें (₹995007.00) सितंबर, 2020 एवं फरवरी 2021 में प्राप्त किए गए ₹2100002.00 लाख के पूरक अनुदान का 47 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थी।

2. In the capital section of the grant, the overall savings (₹995007.00 lakhs) constituted 47 percent of the supplementary grant of ₹2100002.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and constituted 20 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4416"	Major Head "4416"				
कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Investments in Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	120001.00			
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	99998.00	220000.00	220000.00	..

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4885"	Major Head "4885"				
उद्योगों तथा खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	Other Capital Outlay on Industries and Minerals				
मू.	O.	1150000.00	150000.00	150000.00	..
पु.	R.	-1000000.00			
मुख्य शीर्ष "5465"	Major Head "5465"				
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	Investments in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	1490003.00	3495001.00	3495000.00	-1.00
पू.	S.	2000001.00			
पु.	R.	4997.00			
मुख्य शीर्ष "7465"	Major Head "7465"				
सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं को ऋण	Loans to General Financial and Trading Institutions				
पू.	S.	100000.00	..	..	..
पु.	R.	-100000.00			

(I) ₹1100003.00 लाख का प्रावधान (₹100000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹1100000.00 लाख निम्नलिखित मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹1100003.00 lakhs (including supplementary grant of ₹100000.00 lakhs) remained wholly unutilized under six heads; of these ₹1100000.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4885" – "औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – भारत अवसंरचना वित्तीय कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) में बांडों के जरिए इक्विटी सहायता" – ₹1000000.00 लाख पूंजीगत वृद्धि के स्थान पर वित्तीय अवसंरचना परियोजनाओं के लिए समर्पित विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना करने के निर्णय के कारण हुई।

(A) Major Head "4885" - "Investments in Industrial Financial Institutions - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Equity Support to India Infrastructure Financial Company Ltd. (IIFCL) through bonds" - ₹1000000.00 lakhs - due to decision to set up a dedicated development financial institution for financing infrastructure projects instead of capital infusion.

(खा) मुख्य शीर्ष "7465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाओं को कर्ज" –

(B) Major Head "7465" - "Loans to General Financial Institutions" -

(क) "आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत कर्ज" – ₹50000.00 लाख – भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा सहायता न दिए जाने के कारण।

(a) "Loans under Partial Credit Guarantee Scheme" - Supplementary provision of ₹50000.00 lakhs - due to non-invoking by Small Industries Development Bank of India (SIDBI).

(ख) "विशेष लिक्विडिटी स्कीम के अंतर्गत कर्ज" – ₹50000.00 लाख – स्कीम के अंतर्गत जारी किए गए सभी लेखपत्रों के लिए मूलधन और ब्याज की अदायगी होने के कारण स्कीम के 30.09.2020 को स्कीम की वैधता समाप्त होने के कारण।

(b) "Loans Under Special Liquidity Scheme" - Supplementary provision of ₹50000.00 lakhs - due to expiry of validity of the scheme on 30.09.2020 consequent upon the repayment of principal and interest for all instruments issued under the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष "5465" के अंतर्गत – "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश – आरक्षित निधि/जमा लेखों को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि" – ₹295000.00 लाख (₹795000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिवेश के आधार पर निधि का कम अंतरण किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5465" - "Investments in General Financial Institutions - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - National Investment Fund" - saving of ₹295000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹795000.00 lakhs) was due to less transfer to the fund on the basis of disinvestment.

3. उपर्युक्त बचतें/पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के आंशिक रूप से (₹399998.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

3. The above savings were partly (₹399998.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "4416" – "आरक्षित निधि को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि" – ₹99999.00 लाख।

(I) Major Head "4416" - "Transfer to Reserve Fund - National Investment Fund" - ₹99999.00 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष “5465” – “सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम बैंकों इत्यादि में निवेश – बीमा कंपनियों को पुनः पूंजीकरण – ₹299999.00 लाख।

(II) Major Head “5465” - “Investments in General Financial Institutions - Investments in Public Sector and Other Undertakings Banks etc. - Recapitalisation of Insurance Companies” - ₹299999.00 lakhs.